

## संघ बनाम दिल्ली सरकार

इस Editorial में The Hindu, The Indian Express, Business Line आदि में प्रकाशित लेखों का विश्लेषण किया गया है। इस लेख में दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के मध्य संबंधों के समक्ष मौजूद चुनौतियों तथा इससे संबंधित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई है। आवश्यकतानुसार, यथास्थान टीम दृष्टि के इनपुट भी शामिल किये गए हैं।

### संदर्भ:

हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा [राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार \(संशोधन\) अधिनियम, 2021](#) प्रस्तावित किया गया। केंद्र सरकार इस अधिनियम के माध्यम से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के प्रशासन को चलाने से संबंधित कानून में संशोधन करना चाहती है जो दिल्ली के प्रशासनिक ढाँचे के क्रियान्वयन पर सर्वोच्च न्यायालय के नरिण्यों द्वारा दी गई व्याख्या को प्रभावित करता है।

हालाँकि कई संवैधानिक विशेषज्ञों का मानना है कि प्रस्तावित अधिनियम न्यायालय द्वारा दी गई व्याख्या के परतकूल है। उनके अनुसार, यदि अधिनियम कानून बन जाता है तो यह नियुक्त उपराज्यपाल (Lieutenant Governor- LG) की अपेक्षा चुनी हुई सरकार की स्थिति को अधिक मज़बूत करने के न्यायालय के प्रयासों को पूरी तरह से कमज़ोर कर देगा।

### प्रमुख प्रस्तावित संशोधन

- सरकार की परिभाषा में बदलाव: प्रस्तावित अधिनियम में 'सरकार' के सभी संदर्भों का अर्थ कार्यकारी मंत्रपरिषद के बजाय "उपराज्यपाल" में नहित होने को उल्लेखित किया गया है।
- LG की शक्तियों का वस्तुतः: यह विशिष्ट मामलों में नरिवाचति सरकार को LG से परामर्श लेने के लिये उपराज्यपाल की शक्तियों का वस्तुतः करता है। इसके अलावा इस प्रकार के "मामलों" को एक सामान्य या विशिष्ट आदेश के माध्यम से परिभाषित करने का उत्तरदायित्व उपराज्यपाल की शक्तियों में ही नहित किया गया है।
- कमज़ोर विधानसभा: यह अधिनियम विधानसभा को दैनिक-प्रतिदिन के प्रशासन हेतु अपनी समितियों के लिये नियम बनाने से रोककर उसकी शक्तियों को कमज़ोर करता है।

### दिल्ली शासन संरचना पर सर्वोच्च न्यायालय

- पृष्ठभूमि:** भारत के संविधान में 69वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 239AA नरिदष्टि किया गया, जिसमें दिल्ली केंद्रशासित प्रदेश को LG द्वारा प्रशासित घोषित किया गया जो नरिवाचति विधानसभा की सहायता और परामर्श पर काम करता है।
  - हालाँकि 'सहायता और परामर्श' खंड केवल नरिवाचति विधानसभा के पास राज्य तथा समवर्ती सूचियों के मामलों से संबंधित है और सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस तथा भूमि इसके अपवाद हैं।
  - इसके अलावा अनुच्छेद 239AA यह भी संदर्भित करता है कि LG को मंत्रपरिषद की सहायता और परामर्श पर कार्य करना होगा इसके अतिरिक्त वह राष्ट्रपति द्वारा दिये गए नरिदेशों को लागू करने के लिये बाध्य है।
  - साथ ही अनुच्छेद 239AA, LG को 23 विभिन्न मामलों पर राष्ट्रपति के साथ मंत्रपरिषद के मतभेद का उल्लेख करने का अधिकार देता है।
  - इस प्रकार LG और नरिवाचति सरकार के बीच इस दोहरे नरिर्णय से सत्ता में तनाव पैदा होता है, जिसे वर्ष 2018 में सर्वोच्च न्यायालय के पास भेजा गया था।
- सर्वोच्च न्यायालय का नरिणय:** 4 जुलाई, 2018 को संवैधानिक पीठ ने अपने फैसले में कहा कि संविधान में LG को स्वतंत्र नरिणय लेने की कोई शक्ति नहीं सौंपी गई है।
  - न्यायालय ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति को "किसी भी मामले" को संदर्भित करने की शक्ति का तात्पर्य प्रत्येक मामले से नहीं था।
  - दूसरे शब्दों में LG, राष्ट्रपति के समक्ष किसी भी मामले का उल्लेख नहीं कर सकता है; उसे "संवैधानिक नरिषिपक्षता" को नरियोजित करना होगा और इस शक्ति का प्रयोग दुर्लभ स्थितियों में वैध कारणों के आधार पर करना होगा।
  - इस प्रकार प्रत्येक मामले में राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता नहीं है और उससे परामर्श "नियमिती या याँत्रिक तरीके" के बजाय केवल

## नोट

- एनसीटी बनाम यूओआई (NCT vs UOI) मामले में न्यायमूर्त चंद्रचूड़ ने वर्ष 2018 में 'संवैधानिक नष्पक्षता' (Constitutional Objectivity) शब्द का उल्लेख किया जो वधायिका और कार्यकारी के बीच जाँच तथा संतुलन की कुंजी है ।
- संवैधानिक नष्पक्षता यह सुनिश्चिता करती है कि दोनों स्तरों की सरकारें अपने आवंटित क्षेत्रों के भीतर काम करती रहें क्योंकि "वैध संवैधानिक विश्वास" किसी भी कार्य को अंतिम लक्ष्य प्राप्त करने के लिये शक्तियों के वितरण और पृथक्करण पर आधारित है ।

## वधियक के खिलाफ तर्क

- **सर्वोच्च न्यायालय के नरिणय के खिलाफ:** वधियक का सार दलिली वधिनसभा द्वारा पारित कानून के संदर्भ में 'सरकार' के सभी संदर्भों का अर्थ "उपराज्यपाल" में नहिति होने से है ।
  - इस नरिणय के पीछे मार्गदर्शक सिद्धांत का तर्क यह था कि नरिवाचित सरकार की शक्तियों का सीमांकन नियुक्त प्रशासक द्वारा कम नहीं किया जाना चाहिये । वधियक नरिवाचित प्रतिनिधियों की लगभग सभी शक्तियों का उनमूलन करता है ।
  - इस वधियक में वर्ष 2018 के नरिणय का खंडन किया गया है, जो स्पष्ट करता है कि LG के बजाय मुख्यमंत्री सहित मंत्रपरिषद दलिली सरकार की कार्यकारी प्रमुख है ।
- **प्रतिनिधि सरकार का रोलबैक:** वधियक में शासनिक शक्ति उपराज्यपाल में नहिति कर चुनी हुई सरकार और LG के बीच उत्तरदायित्व के असामंजस्य को समाप्त करता है ।
  - इसके अलावा चुनी हुई सरकार के लिये कार्यकारी कार्रवाई करने से पहले LG की राय की आवश्यकता प्रभावी रूप से नरिवाचित सरकार को शक्तिहीन बना सकती है ।
  - इसके अलावा यह वधियक वधिनसभा या उसकी समितियों को दनि-प्रतदिनि के प्रशासन के किसी भी मामले पर चर्चा करने या प्रतिनिधि सरकार के रोलबैक के लिये पूछताछ करने के अधिकार को शून्य घोषित करता है ।
- **संघीय राजनीति की केंद्रीयता:** हाल ही में केंद्र सरकार ने कई कदम उठाए हैं जो कि संघवाद (कृषि वधियक, धारा 370 के नरिसन आदि) की भावना को कम करती है । यह वधियक भारत की संघीय राजनीति को केंद्रीयकृत करने की दिशा में एक और उचित कदम है ।
  - हाल ही में जारी एक रिपोर्ट में कहा गया था कि इस तरह के वधियक भारत की चुनावी नरिकुशता की अंतरराष्ट्रीय धारणा को मजबूत कर सकते हैं ।

## आगे की राह

- **संवैधानिक विश्वास (Constitutional Trust) के माध्यम से कार्य करना:** शीर्ष न्यायालय द्वारा नरिणय में उल्लेख किया गया था कि संविधान में नहिति राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम, 1991 एक सहयोगात्मक संरचना की परिकल्पना करता है जिसमें केवल संवैधानिक विश्वास के माध्यम से ही काम किया जा सकता है ।
  - इस प्रकार इस वधियक को एक प्रवर समिति के पास भेजा जाना चाहिये और कृषि वधियकों की तरह जलदबाजी में पारित नहीं किया जाना चाहिये ।
  - ऐसे मामलों में सर्वसम्मति सुनिश्चिता की जानी चाहिये जो संघवाद के साथ-साथ सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नरिधारित उच्च सिद्धांतों के अनुरूप हो ।
- **सब्सिडियरी का सिद्धांत (Principle of Subsidiarity) सुनिश्चिता करना:** सब्सिडियरी (राजकोषीय संघवाद का संस्थापक) सिद्धांत आवश्यक रूप से उपराष्ट्रीय सरकारों को सशक्त बनाता है ।
  - इससे केंद्र सरकार को उपराष्ट्रीय सरकारों को अधिक-से-अधिक शक्तियाँ आवंटित करने की दिशा में बढ़ना चाहिये ।
  - इस संदर्भ में भारत को दुनिया भर के जकार्ता और सयोल से लेकर लंदन व पेरिस जैसे बड़े मेगापोलिस का अनुसरण करना चाहिये जहाँ मजबूत उप-राष्ट्रीय सरकारें कार्यरत हैं ।

## नष्पक्ष

संवैधानिकता का मूल सिद्धांत सीमिति शक्तियों की अवधारणा को केंद्रीय मानता है । इन लोकाचारों को बनाए रखने के लिये सबसे ज़्यादा महत्त्व उन लोगों को दिया जाना चाहिये जो वास्तविक संप्रभु हैं और अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के रूप में कार्य करते हैं ।

**प्रश्न.** "उपराज्यपाल का शासन" शासन की कैबिनेट प्रणाली का मूल सिद्धांत नहीं है" । हाल ही में दलिली सरकार के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (संशोधन) वधियक, 2021 के संदर्भ में कथन का विश्लेषण कीजिये ।

